

प्रेषक

जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक:

645 /2021/प्रशा./अमरोहा, दिनांकित: 22.04.2021

विषय:

दिनांक 22.04.2021 को जिला न्यायालय अमरोहा में चार
कर्मचारीगण की कोविड-19 की जांच घनात्मक आने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 22.04.2021 को जिला न्यायालय अमरोहा में चार कर्मचारीगण की कोविड-19 की रिपोर्ट घनात्मक पायी जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या-मुचिअ/कोविड-19/2021-22/5686 दिनांकित 22.04.2021 में यह अंकित किया गया है कि सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र/भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को 02 बार विसंक्रमित किया जाये। उक्त कारणों से जिला न्यायालय अमरोहा के मुख्यालय को दिनांक 23.04.2021 के लिए सेनेटाइजेशन कराने के लिए बन्द किया गया है।

अतः अनुरोध है कि पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय


22-4-2021

जिला न्यायाधीश,
अमरोहा।

DISTRICT JUDGE
AMPORHA

संलग्नक- यथोक्त।

Administrative Office, District Judge, Amroha

ORDER No. 50

Dated: 22/4/2021

ORDER

Chief Medical Officer, Amroha vide his letter no. मुचिअ0/कोविड-19/2021-22/5686 dated: 22.04.2021 informed this office that **04 Employees in District Court Amroha has been found corona positive.**

Chief Medical Officer, Amroha in his letter aforementioned has also informed that in above circumstances it would be essential to close the court campus for 24 hours viz. 23.04.2021 for sanitization. Meanwhile fervent and continuous sanitization of the court premises be done. A copy of this order be sent to District Magistrate and Chief Medical Officer, Amroha for the purpose aforesaid. O.I./c Nazarat shall take personal interest in sanitization work and to furnish their report.

The general dates for the cases fixed on 23.04.2021 will be 13.05.2021 respectively. However, it shall be open for concerned Presiding Officers to fix any other date for any particular case if situation so warrants.

The urgent matters and Bail applications fixed for 23.04.2021 shall be taken up on 29.04.2021.

Outlying court Hasanpur & Gram Nyayalaya, Dhanaura, District Amroha shall remain opened as usual on 23.04.2021.


In pursuance of directions of Hon'ble High Court laid down vide letter no. 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/dated 05.04.2021, it has been decided that all the courts at district headquarter, Amroha shall remain closed for vigorous sanitization on 23.04.2021 .

Copy of this order be sent to District Bar Associations for information and also to all Hindi Dailies for information to public at large and this order upload on website also.

All concerned be informed accordingly and a copy of this order be also pasted on notice board of this Judgeship.

This order be also informed to Hon'ble High Court.

Dated: 22.04.2021


22-4-2021
District Judge,
Amroha

Copy to-

1. Principal Judge, Family Court
2. District Magistrate, Amroha
3. Superintendent of Police, Amroha
4. Chief Medical Officer, Amroha
5. Jail Superintendent Moradabad
6. D.G.C. Criminal & Civil, District Court, Amroha
7. Bar Associations Amroha
8. District Information Officer for publishing the news in Newspapers

DISTRICT JUDGE
AMROHA

तत्काल/आज ही

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
जनपद अमरोहा।

पत्रांक मुचिअ/कोविड-19/2021-22/5606 दिनांक 22/04/2021

विषय:- माननीय जनपद न्यायालय अमरोहा में कोविड-19 पॉजेटिव पाये गये
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 जनपद न्यायालय अमरोहा के
निम्नलिखित कार्मिक 1-संगीता रानी 2- राकेश शर्मा 3- शेखर भटनागर एवं श्री
जयविन्द सिंह कोविड-19 धनात्मक पाये गये हैं।

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 902/पांच-5-2020
दिनांक 31-05-2020 के प्रस्तर-ग के बिन्दु संख्या -3 में वर्णित प्राविधानों के
अनुसार यदि कार्य स्थल पर किसी कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाते हैं एव
जॉच रिपोर्ट पाजेटिव आती है तो उस कार्मिक से सम्बन्धित कार्य स्थल के
प्रक्षेत्र/भवन को पूरी तरह से 24 घन्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल
को दो बार विसंक्रमित किया जायेगा। इसके साथ ही जो-जो व्यक्ति उस कार्मिक
के निकट सम्पर्क (एक मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क) में आये
हो उनके आर0टी0पी0सी0आर टैस्ट कराकर धनात्मक पाये जाने पर होम
आईसोलेशन अथवा कोविड-चिकित्सालय में भर्ती किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्तनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा।

पृ0स0 मुचिअ/कोविड-19/2021-22/5607-5688 तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला अधिकारी अमरोहा।
2. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अमरोहा को इस आशय से प्रेषित
कि मा0 जनपद न्यायालय अमरोहा को 02 बार सैनेटाईज कराकर विसंक्रमित
कराने का कष्ट करे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा।

Seen

22.04.2021
DISTRICT JUDGE
AMROHA